कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / प्रारं / वै.शि.प्र. / 2019-20 / 19810 / 110

दिनांक- 10 / 09 / 2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा ....(समस्त)

विषय—नामांकन की प्रवृष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3.07.2020 के द्वारा राज्य के समस्त जिलों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित, ड्रॉप आउट बच्चों तथा कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे जो इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक पत्रांक 101 दिनांक 7.07.2020 के द्वारा आपको जारी किये जा चुके है। आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन समस्त **राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विधालय एवं इस सत्र में डीमर्ज किये गये विद्यालय** को शामिल करते हुए सभी संस्था प्रधानों को कुल प्रवेशित बच्चों की प्रवृष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 15.9.2020 तक आवश्यक रूप से करने हेतु निर्देशित करें साथ ही इस कार्य में लापरवाही होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लावे।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा दिनांक 16.09.2020 तक प्रवृष्टि पूर्ण करने का प्रमाणपत्र निदेशालय प्राशि के वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी vspcell2018@gmail.com पर प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें।

सौरभ स्वामी
I.A.S.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पं राज (प्राशि)विभाग
राजस्थान-बीकानेर